

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 3030 औस/2009-11(30)एफ०/०४

दिनांक: 30 अगस्त 2009

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवम् उन पर पूर्णतया आश्रित परिजनों तथा फैमिली पेंशनरों को क्रेडिट सुविधा के अन्तर्गत हृदय रोग का उपचार एवं शल्य क्रिया कराने हेतु पूर्व मान्यता प्राप्त कैलाश हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर लि०, एच-33, सेक्टर-27, नोयडा जिसका नाम अब परिवर्तित होकर कैलाश हास्पिटल एण्ड हार्ट इन्स्टीट्यूट, एच-33, सेक्टर-27, नोयडा हो गया है, की पूर्व में कारपोरेशन के आदेश संख्या -2981-औस/पाकालि/०७, दिनांक 30.08.2007 द्वारा प्रदत्त मान्यता के अनुक्रम में पूर्व निर्धारित प्रतिबन्धों/शर्तों एवं कारपोरेशन द्वारा स्वीकृत सी०जी०एच०एस० की पैकेज दरों पर अस्पताल द्वारा 4 % की छूट दिये जाने तथा क्रेडिट पर हृदय रोग के इलाज को केवल ऐन्जियोग्राफी, ऐन्जियोप्लास्टी एवं ओपेन हार्ट सर्जरी (CABG, DVR, MVR, PACE MAKER IMPLANT) आदि तक सीमित रखने के अतिरिक्त प्रतिबन्ध के साथ एतद्द्वारा दिनांक 31.3.2010 तक के लिए मान्यता अवधि बढ़ायी जाती है।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन)

संख्या: 3030 (1) औस/2009-तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध अपर सचिव।
- 2- अपर प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन)/ (वितरण) / (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ / पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/ दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर।



.....2/-

- 5- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग / जॉच समिति-प्रथम / द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 6- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
- 8- समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी / कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 9- समस्त अपर सचिव / संयुक्त सचिव / महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक (लेखा / वित्त), उप मुख्य एवम् वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी (वेतन एवम् लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 10- समस्त अनुभाग अधिकारी / निजी सचिव, प्रशासनिक एवम् लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 11- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वेबसाइट www.uppcl.org पर लोड करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।
- 12- प्रबन्धक, कैलाश हास्पिटल एण्ड हार्ट इन्स्टीट्यूट, एच-33, सेक्टर-27, नोयडा।
- 13- सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
- 14- कट फाइल।


(कौशल चन्द्र सक्सेना)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी
14

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 3044 औस/2009-11(3)एफ०/०6

दिनांक: 03 अगस्त, 2009

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त कैलाश हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर लि०, एच-33, सेक्टर-27, नोयडा के प्रबन्धन ने यह उद्घोषित किया है कि उन्होंने अपने उक्त अस्पताल का नाम परिवर्तित कर अब कैलाश हास्पिटल एण्ड हार्ट इन्स्टीट्यूट, एच-33, सेक्टर-27, नोयडा कर दिया है तथा कारपोरेशन से तदनुसार उक्त परिवर्तित नाम को अभिलेखों में इंगित करने का अनुरोध किया है।

एतद्वारा उक्त अस्पताल के प्रबन्धन के अनुरोध को कारपोरेशन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त स्वीकार करते हुए विभागीय अभिलेखार्थ कैलाश हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, नोयडा के स्थान पर "कैलाश हास्पिटल एण्ड हार्ट इन्स्टीट्यूट, नोयडा" कर दिया गया है। कैलाश हास्पिटल एण्ड हार्ट इन्स्टीट्यूट, नोयडा पर विभाग द्वारा पूर्व पारित प्रतिबन्ध/शर्तें एवम् पूर्व निर्धारित चिकित्सा दरें यथावत् प्रभावी रहेंगी।

महाप्रबन्धक (औस०)

संख्या: 3044 (1) औस/2009-तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष महादय के प्रमुख निजी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन) महोदय के निजी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- अपर सचिव (प्रथम)/अपर सचिव (द्वितीय)/अपर सचिव (अराज०/काविनी), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 5- महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

.....2/-



- 6- प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ / पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/ दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि वे अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 7- उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- प्रबन्धकगण, कैलाश हास्पिटल एण्ड हार्ट इन्स्टीट्यूट, नोयडा।
- 9- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 10- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कम्प्यूटराइजेशन इकाई, कक्ष सं0-407, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस आदेश को वेबसाइट www.uppcl.org पर लोड करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।
- 11- कट फाइल।



(कौशल चन्द्र सक्सेना)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी